संख्या पीसीएच/1/2023–audit cell-DIR(PR)- – 3927.
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग हि.प्र.।

प्रेषकः–

निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज, हि.प्र. सरकार।

प्रेषितः–

सचिव,
जिला परिषद सोलन
जिला सोलन हि0प्र0।
शिमला–9

दिनांक 26 मई, 2023.

विषयः– जिला परिषद सोलन के सदस्यों को **Exposure Visit** पर केरल राज्य जाने हेतु स्वीकृति लेने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–सोलन(पंच)एक्सपोजर विजिट–2023–624 दिनांक 21.01.2023 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचसी–(33)/एक्सपोजर विजिट–63333–439 दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 (प्रति संलग्न) अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को राज्य से बाहर या राज्य के भीतर भ्रमण करने हेतु अपनी निधि से धनराशि व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त अधिसूचना के दृष्टिगत जिला परिषद सोलन के पदाधिकारियों को राज्य से बाहर या राज्य के भीतर भ्रमण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। आपको सुझाव दिया जाता है कि जिला परिषद निधि से ऐसी सम्पतियों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जिला परिषद को नियमित आय प्राप्त हो सके और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि

Signed by Niraj Chandla
Date: 25-05-2023 16:24:37
(नीरज चांदला)
संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0 शिमला–09.

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त – 3928 – 40

दिनांक 26 मई, 2023.

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सचिव, जिला परिषद हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
2. श्री अखिलेश कुमार, कम्पयुटर प्रोग्रामर, राज्यमुख्यवास को पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करनें बारे।

– Signed –

संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0 शिमला–09.